बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या 3909 / पटना, दिनांक 3/12/07

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, के अधीन लिपिकों की भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

अध्याय-1 : प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**
   (i) यह नियमावली सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 कहलाएगी ।
   (ii) इसका विस्तार बिहार सरकार, योजना एवं विकास विभाग के अधीन सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों तक रहेगा ।
   (iii) यह तुरत प्रवृत होगा ।

2. **परिभाषाएँ:-** इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है अनुसूची 1 में यथावर्णित निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक के पद ।
   (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।
   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन ।
   (iv) ''कोटि'' से अभिप्रेत है नियम-3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोटि ।
   (v) ''मेधा सूची'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची ।
   (vi) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची ।
   (vii) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ।

3. **संवर्ग संरचना:-**
   (i) संवर्ग, निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण में होगा।
   इस सेवा के विभिन्न कोटियों के पदों का ब्यौरा नियमावली की संलग्न अनुसूची-1 में दिया गया है। राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों के बल का निर्धारण कर सकेगी और उसे स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अस्थायी एवं स्थायी पदों को स्वीकृत, सृजित तथा समाप्त करने की शक्ति होगी।
   (ii) इस नियमावली के प्रवृत होने की तारीख को निदेशालय में नियुक्त एवं कार्यरत लेखा लिपिक एवं पत्राचार लिपिक इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

अध्याय-2 : भर्ती

4. **भर्ती का स्रोत:-**

संवर्ग के पदों की मूल कोटि की सभी रिक्तियाँ सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जायेगी और ऐसी भर्त्ती लिखित परीक्षा पर आधारित आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जायेगी ।

5. **सीधी भर्त्ती की पात्रता एवं अहर्ता:-**

(i) उम्र :- न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम जो राज्य सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नियंत की जाय ।

(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- अभ्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में या किसी अन्य समकक्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो।

(iii) अभ्यार्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान अवश्य हो ।

6. **चयन का प्रक्रिया:-**

आयोग सीधी भर्त्ती हेतु रिक्तियों की उपलब्ध अधियाचना के आधार पर समाचार पत्र में विज्ञापन के पश्चात् लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम नियमावली में संलग्न अनुसूची--2 के अनुसार होगा।

7. **रिक्तियों का निर्धारण:-**

निदेशालय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक भर्त्ती हेतु रिक्तियों का निर्धारण करेगा ।

8. **आयोग को रिक्तियों का संसूचन:-**

सीधी भर्त्ती हेतु रिक्तियों का निर्धारण करने के पश्चात निदेशालय प्रत्येक वर्ष 30 अप्रील तक आयोग को रिक्तियों की निर्धारित संख्या संसूचित करेगा ।

9. **सीधी भर्त्ती हेतु आयोग की अनुशंसा:-**

आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा । उक्त मेधा सूची में से आयोग प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार अभ्यार्थियों के नामों की अनुशंसा निदेशालय को करेगा । अनुशंसित अभ्यार्थी द्वारा पद ग्रहण नहीं करने अथवा रिक्तियों में वृद्धि होने की दशा में एक वर्ष के अन्दर मेधा सूची के उसी पैनल से अभ्यार्थियों की अनुशंसा की जा सकेगी । मेधा सूची, अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक विधि मान्य रहेगी ।

10. **परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि:-**

नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी। परिवीक्षा अवधि संतोपजनक ढंग से पूरा करने तथा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषजनक नही पायी जाए तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लिपिकीय संवर्ग हेतु विभागीय परीक्षा का ब्योरा इस नियमावली से संलग्न अनुसूची-3 में दिया गया है।

अध्याय-3 : प्रोन्नति

11. प्रोन्नति:-

(i) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति हेतु विचारणीय परिक्षेत्र की संगणना के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा न्यूनतम अर्हक सेवा (प्रोन्नति हेतु कालावधि) निर्धारण के संबंध में निर्गत अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ii) निदेशालय की प्रोन्नति समिति मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति के मामलों पर विचार करेगी। प्रोन्नति समिति का गठन राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) निम्नवर्गीय लिपिक, लेखा लिपिक, पत्राचार लिपिक, (वेतनमान 3050-4590रु0) के मूल संवर्ग के लिए उच्चतर पद उच्च वर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000रु0) तथा प्रधान लिपिक (वेतनमान 4500-7000रु0) के पद होगें।

अध्याय-4 : प्रकीर्ण

12. **आरक्षण:-** संवर्ग में नियुक्ति तथा उच्चतर कोटि में प्रोन्नति के मामले में पदों और सेवा में आरक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

13. **पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति:-** इस संवर्ग के सदस्य बिहार राज्य में निदेशालय के अधीन किसी क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित किये जा सकेंगे।

14. **वेतनमान:-** विभिन्न कोटियों के वेतनमान वही होंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे ।

15. **अन्य सेवा शर्त्ते:-** इस संवर्ग के लिए अन्य सेवा शर्ते, यथा अनुशासनिक कार्रवाई, स्थानान्तरण, छुट्टी की अनुमान्यता, सेवा निवृति लाभ आदि जो इस नियमावली में उल्लिखित नही है, बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवकों के लिए प्रयोज्य नियमों से शासित होंगे। ।

16. लिपिक(लेखा लिपिक/पत्राचार लिपिक) संवर्ग में भर्त्ती/प्रोन्नति संबंधित पूर्व निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(रामेश्वर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक .... / पटना, दिनांक
स्था-2/73-06/2006

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित करने तथ इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय), पटना को भेजने हेतु अग्रसारित ।

ह0/-
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 3909 / पटना, दिनांक 3/12/07

स्था-2/73-06/2006

प्रतिलिपि: सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पदाधिकारी/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को सूचनार्थ एवं आव कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

3/12/2007

सरकार के सचिव

(अनुसूची-1)

लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या का ब्योरा :-

पदनाम	वर्त्तमान पद
निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा लिपिक/ पत्राचार लिपिक) (सामान्य) वेतनमान 3050-4590रु.	56
1. उच्च वर्गीय लिपिक - कोटि II वेतनमान 4000-6000रु.	38
2. प्रधान लिपिक कोटि I वेतनमान 4500-7000रु.	9
कुल	103

अनुसूची-2

लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्त्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रमः-

क्र0 सं0	विषय	स्तर	पत्र	निर्धारित समय	प्राप्तांक
1	हिन्दी	मैट्रिक स्तर	1	3 घंटा	100
2	सामान्य ज्ञान	मैट्रिक स्तर	1	3 घंटा	100
3	प्रारंभिक गणित	मैट्रिक स्तर	1	3 घंटा	100

टिप्पणी:- (1) हिन्दी में कम से कम 30 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) अन्य दो पत्रों यथा, सामान्य ज्ञान एवं प्रारंभिक गणित, में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

अनुसूची-3

लिपिकीय संवर्ग हेतु विभागीय परीक्षा का ब्योराः-

(क)	राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण होना
(ख)	राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारुपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना।